

क्रमांक 3317002/छ.ग./2018/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /06/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

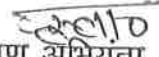
1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर

विषय :- सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति (निःशक्तजन) संवर्ग को शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-24/31/स्था./2017 दिनांक 31.05.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित पदोन्नति आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित सहायक अभियंता (सिविल) को पदोन्नति आदेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 3317002/छ.ग./2018/10062

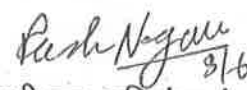
दिनांक 11/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. संबंधित श्री द्वारा स.क्र.
4. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मास्टर नस्ती।
6. संबंधित नस्ती 3327035/छ.ग./2014 में।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र. 02 से 05 हेतु)


अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर



छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—: आदेश :—

नया रायपुर, दिनांक 31.05.2018

क्रमांक एफ 01-24/31/स्था./2017 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर अवमानना प्रकरण क्रमांक 645/2017 पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 के परिपालन में दिनांक 03.01.2018 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित निःशक्तजन सहायक अभियंता (सि.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कार्यपालन अभियंता (सि.) के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रुपये 6,600/-(सातवें वेतनमान में मेट्रिक लेबल-13) में पदोन्नति प्रदान करते हुए, कॉलम- 5 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, पदस्थ करता है।

क्र.	वरिष्ठता क्र.	रोस्टर के बिन्दु क्र.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	189	01	श्री भुवनेश्वर प्रसाद गोपाल	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर जिला रायपुर
2	224	42	श्री रविशंकर कोष्टा	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध मंडल, रुद्री जिला धमतरी
3	259	69	श्री रमेश कुमार कोष्टा	कार्यपालन अभियंता (रू.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर जिला रायपुर

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 26.02.2014 के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजन सहायक अभियंता (सि.) संवर्ग से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत उपरोक्त सभी अभियंताओं को भविष्य में निःशक्तजन कोटे का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर :-

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

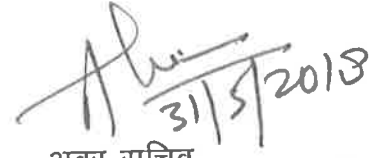
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 31.05.2018.

पृष्ठांकन क्र. एफ 01-24/31/स्था./2017,
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर,
2. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर की ओर माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 के तारतम्य में,
4. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा छ0ग0 रायपुर,
6. सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर,
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
10. संबंधित अभियंता सर्वश्री बी.पी. गोपाल, रविशंकर कोष्टा एवं श्री आर.के. कोष्टा द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
11. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

33/ 16

